न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या–403/2020

अंदर धारा–58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) पप्पु कुमार यादव, पिता–गणेश यादव,
सा0–हनुमान नगर भोड़हर, वार्ड नं0–02,
थाना–फुलकाहा, जिला–अररिया

(2). जितेन्द्र कुमार यादव, पिता–नामालुम,
सा0–थाना–फुलकाहा, जिला–अररिया

(3) विजय यादव, पिता–सोलय यादव
सा0–मानिकपुर, वार्ड नं0–10, थाना–फुलकाहा
जिला–अररिया, पिन कोड–854336
(डिस्कवर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–BR38E0876
चेसीस सं0–MD2A15BZ4CPC56306,
ईंजन सं0–JZZPCC09714) के मालिक ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)

05.04.2021

इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक–678/हि0शा0,दिनांक–12.03.2020) के आलोक में नरपतगंज थाना कांड संख्या–302/2016, दिनांक–05.09.2016, धारा–272/273 भा0द0वि0 एवं 47 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 में जब्त डिस्कवर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या–BR38E0876, चेसीस सं0–MD2A15BZ4CPC56306, ईजन सं0–JZZPCC09714 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण–पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी संख्या–01 की ओर से दिनांक–10.09.2020 को वकालतनामा के साथ रीज्वाइन्डर दाखिल किया गया। विपक्षी सं0–03 के नाम निर्गत सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षी की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नहीं है।

(2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक–678/हि0शा0, दिनांक–12.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।

(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि पुलिस अवर निरीक्षक, नरपतगंज थाना सशस्त्र बल के साथ दिनांक 05.09.2016 को गुप्त सूचना के आधार पर गस्ती के लिये समय 07.30 बजे प्रस्थान किए। समय 08.30 बजे ग्राम–थलहा खरसाही नहर के सामने एन0एच0 57 पर पहुँचे। पुलिस गाड़ी को देखकर विपक्षी सं0–01 एवं 02 मोटर साईकिल को सड़क किनारे खड़ा कर दिया एवं एक उजला रंग का प्लास्टिक के बोरा में बन्द शराब को सड़क किनारे फेंककर पैदल भागने लगा। बल के सहयोग से भाग रहे दोनों व्यक्तियों में से विपक्षी सं0–01 को खदेड़कर पकड़ा गया। विपक्षी सं0–02 भागने में सफल रहा। दो स्वतंत्र गवाहों– 1. अभिताभ कुमार यादव, पिता–कलानन्द यादव, सा0–मधुरा दक्षिण, वार्ड नं0–09, टोला–थलहा, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया एवं 2. दिलीप यादव, पिता–स्व0 मानिक यादव, सा0–मधुरा दक्षिण, वार्ड नं0–09, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया के समक्ष प्लास्टिक का बोरी का तलाशी लिया गया। तलाशी के कम में बोरा से कुल–65 बोतल प्रति बोतल 180 मिली लीटर नेपाली शराब बरामद हुआ। बरामद शराब एवं एक डिस्कभर मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन सं0–BR-38E/0876, ईंजन सं0–JZZPCC09714, चेचिस सं0–MD2A15BZ4CPC56306 को जब्ती सूची तैयार कर विधिवत

अधिहरण वाद संख्या-403/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
05.04.2021	जब्त किया गया। जब्त वाहन का उपयोग भारी मात्रा में अवैध शराब को ढ़ोने में किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।	

(4) विपक्षी सं0-01 द्वारा दाखिल रीज्वाइन्डर दिनांक-10.09.2020 के अनुसार विपक्षी सं0-01 जब्त वाहन का मालिक नहीं है। उन्हें इस काण्ड में अनावश्यक शामिल किया गया है। जब्त वाहन से उन्हें कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उनकी प्रार्थना है कि उनके विरूद्ध प्रारम्भ की गई इस वाद को बंद किया जाय।

(5) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-678/हि0शा0, दिनांक-12.03.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि नरपतगंज थाना कांड संख्या-302/2016, दिनांक-05.09.2016, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 47 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग 11.700 लीटर नेपाली देशी शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। नरपतगंज थाना कांड संख्या-302/2016, दिनांक-05.09.2016, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 47 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद(संशोधन) अधिनियम, 2016 में **जब्त डिस्कवर मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR38E0876, चेसीस सं0-MD2A15BZ4CPC56306, ईजन सं0-JZZPCC09714 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

05/04

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1170/विधि, अररिया, दिनांक 22-4-2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ पेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/04

समाहर्त्ता, अररिया

दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अररिया (बिहार)